न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 238/2020 निर्णय दिनांक :– 21.8.20

उनवान

1. हरिशंकर शर्मा पुत्र स्व. श्री हरसहाय जी शर्मा निवासी– वार्ड न. 10 बालवाडी मोहल्ला तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये भू–धारक, तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकर से प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी उपरोक्त पते पर निवास करता है। प्रार्थी एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हैं प्रार्थी की कब्जे एवं स्वामित्व की पुश्तैनी कृषि भूमि वाके ग्राम रूपवास पटवार हल्का रूपवास भू0 अभि0 नि0 क्षे0 कादेडा, तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में खाता संख्या 84 के खसरा नंबर 177, 198 से 203, 426 से 428, 431, 432, 445, 446, 447/1088, 703, 705, 709, 710, 712 से 715, 740, 741 कुल किता 25 कुल रकबा 6.59 है0 स्थित है। जिसमें राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी का हिस्सा 1/20 अर्थात 0.33 है0 है। प्रार्थी स्वर्गीय श्री हरसहाय जी शर्मा का पुत्र है। प्रार्थी के पिता हरसहाय जी का स्वर्गवास दिनांक 25.10.2011 को

उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

हो गया था जिनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिस प्रार्थी की माता रतन देवी, प्रार्थी के दो भाई बालकिशन व दुर्गाशंकर तथा प्रार्थी की बहन मुन्ना देवी व प्रार्थी है। जब प्रार्थी के पिता के विरासत का नामान्तकरण खोला गया तो प्रार्थी के परिवार वालो ने प्रार्थी के बोलते नाम उपनाम हेमराज के नाम से अन्य परिवार वालो के साथ नामान्तकरण संख्या 443 भरवा दिया गया जो दिनांक 18.11.2016 को स्वीकार हो गया। जबकि प्रार्थी का दस्तावेजों में नाम हेमराज न होकर हरिशंकर शर्मा है। प्रार्थी वादग्रस्त सम्पति का अपने हिस्से अनुसार मालिक एवं स्वामी है। प्रार्थी का दस्तावेजो मे नाम हरिशंकर शर्मा है जबकि घर पर प्रार्थी को प्यार से हेमराज के नाम से बुलाते है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम हरिशंकर शर्मा है तथा प्रार्थी का उपनाम हेमराज है। प्रार्थी का नाम हरिशंकर शर्मा है। यह प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार चाकसू के पत्र दिनांक 27.07.2020 से भी होती है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम उपनाम हेमराज दर्ज हो जाने के कारण तथा पहचान के दस्तावेजो में हरिशंकर शर्मा होने के कारण से प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि के बाबत सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने सरकारी सहायताऐ प्राप्त करने के.सी.सी ऋण प्राप्त करने फसल को अपने वास्तविक नाम से विक्रय कर चैक प्राप्त करने, कृषि उपज मण्डी में जमाबन्दी व दस्तावेजात का नाम मिलान नही होने के कारण घोर हैरानी व परेशानी का सामना करना पड रहा है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के उपनाम हेमराज पुत्र स्व हरसहाय के स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजो के अनुसार हरिशंकर शर्मा पुत्र स्व

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

हरसहाय शर्मा किया जाना न्यायसंगत उचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी को दिनांक 05.07.2020 को राजस्व रिकार्ड के बाबत पटवारी से सम्पर्क करने पर उक्त गलती का पता चला तो प्रार्थी ने अप्रार्थी के यहां पर दिनांक 06.07.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया । जिस पर अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 27.07.2020 को न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने बाबत लिखा। इस कारण प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पति श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने के कारण प्रार्थना पत्र को सुनने एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान का प्राप्त है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के उपनाम हेमराज पुत्र स्व. हरसहाय के स्थान पर हरिशंकर शर्मा पुत्र स्व. हरसहाय शर्मा किये जाने के न्यायहित में आदेश प्रदान करने की कृपा करे । दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जारी की गयी व जवाब सरकार पेश करने हेतु पत्र क्रमांक /रीडर/20/3643 दिनांक 03.09.2020 के द्वारा लिखा गया तो जवाब सरकार भी पेश नही किया गया न ही हाजीर अदालत आया वकील वादी ने सहखातेदार एवं स्वय का तथा भाई का शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में हेमराज के स्थान पर हरिशंकर शर्मा दुरूस्त फरमाया जावें। वकील प्रार्थी को सुना व पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात ग्राम रूपवास की जमाबदी संम्वत 2073-76 के खाता संख्या 84 आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

पंचायत कादेडा का प्रमाण पत्र दिनांक 20.01.2020 नामान्तकरण संख्या 443 की प्रति हरिशंकर शर्मा, प्रभादेवी व दुर्गाशंकर का शपथ पत्र बतौर दस्तावेज पेश किये गये जिनका परीक्षण किया गया तो राजस्व जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम हेमराज दर्ज है। जो प्रार्थी के पिता हरसहाय जी का स्वर्गवास दिनांक 25.10.2011 को होने के पश्चात उनके वारिस प्रार्थी की माता रतनदेवी प्रार्थी के दो भाई बालकिशन, दुर्गाशंकर तथा प्रार्थी की बहन प्रभादेवी व प्रार्थी है, जब प्रार्थी के परिवार वालों ने प्रार्थी के बालेते नाम उपनाम हेमराज के नाम से अन्य परिवार वालो के साथ नामान्तकरण संख्या 443 खोल दिया गया व उसी अनुसार जमाबन्दी में नाम दर्ज हो गया जबकि अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, पेनकार्ड, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र व संरपंच प्रमाण पत्र एवमं प्रस्तुत शपथ पत्र प्रार्थी स्वयं दुर्गाशंकर व प्रभादेवी के अनुसार प्रार्थी का नाम हरिशंकर है जो उक्त दस्तावेजात के आधार पर दुरूस्त किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम रूपवास पटवार हल्का रूपवास तह चाकसू के खाता संख्या 84 के खसरा नंबर 177, 198 से 203, 426 से 428, 431, 432, 445, 446, 447/1088, 703, 705, 709, 710, 712 से 715, 740, 741 कुल किता 25 कुल रकबा 6.59 है0 भूमि में प्रार्थी के उपनाम हेमराज पुत्र हरसहाय के स्थान पर हरिशंकर शर्मा उर्फ हेमराज पुत्र हरसहाय शर्मा शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू